

FROM No. -III
फर्ड अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम लाम्बा

न पिता सांवताराम मीणा
मानपुराबनाम राधेश्याम पिता बालुदास
निवासी- जालमपुरा

कैसम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा-128 रा.ले.रेवे. एक्ट प्रकरण संख्या- 802/2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

सबसे बड़े आदेश
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

प्रार्थी के द्वारा यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीय उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेसी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मौजा जालमपुरा पटवार हल्का जालमपुरा तहसील हुरडा की आराजी नं 935 रकबा 05 बीघा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

-आदेश-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया मौजा जालमपुरा पटवार हल्का जालमपुरा तहसील हुरडा की आराजी नं 935 रकबा 05 बीघा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक- दांतडा को 500/-रुपये (अक्षरे- पाँच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पटन सहायक कलेक्टर
गुलाबपुरा कम्प